न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम आइ०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
25 / 2017	31 / 05 / 2017	29 / 11 / 2024

1. रामकरण पुत्र हीरालाल मृतक जर्ये कायममुकाम
   1/1 मुकेश पुत्र रामकरण
   1/2 महावीर पुत्र रामकरण
   1/3 रिंकू पुत्री रामकरण
   1/4 कालीबाई पत्नी स्व0 रामकरण जातियान मीणा नि0 छत्रपुरा तह पीपल्दा जि. कोटा

–वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र माणकचन्द
2. मनोज पुत्र माणकचन्द
3. श्रीमति रोशनबाई बेवा माणकचन्द तह पीपल्दा जातियान महाजन निवासीगण पीपल्दा जि. कोटा (राज.) हाल नि0 दुकान को 6 सेक्टर ए कर्म माणकचन्द मनोज कुमार भामाशाह मण्डी कोटा जि. कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में ख़ातौनी संख्या 97 नकल जनाबन्दी संवत 2072 से 75 में दर्ज है, जो कि निम्न है:–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
138 / 416	0.37 है0	नहरी प्रथम
145	0.16 हेक्टर	नहरी प्रथम
148	0.16 हेक्टर	नहरी प्रथम
149	0.20 हेक्टर	नहरी प्रथम
150	0.20 हेक्टर	नहरी प्रथम
151	0.20 हैक्टर	नहरी प्रथम
152	0.18 हेक्टर	नहरी प्रथम
153	0.16 हेक्टर	नहरी प्रथम

कुल 8 किता रकबा कुल 1.61 हेक्टर

उपरोक्त वर्णित आराजियात में से आराजी खसरा नम्बर 138 / 416 विवादित आराजी हैं जिसे आगे की मदो में विवादग्रस्त आराजी शब्द से

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

सम्बोधित किया जा रहा है। यह कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी में जबरन ताकत के बल पर व धनाढ्य होने का फायदा उठाते हुये, जबरन कब्जा करना चाहते है। वादी को हर वर्ष खेती करते समय बाधा उत्पन्न करते हैं, तथा वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने नहीं देते हैं, वादी के साथ झगड़ा करने पर आमादा होते हैं। इस कारण वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादग्रस्त आराजी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजी को वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। किसी प्रकार की मदालात व मजहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे। और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये । यह कि दिनांक 15–11–2016 को वादी विवादग्रस्त आराजी से फसल बुआई करने लगा, तो प्रतिवादीगण ने वादी को विवादग्रस्त आराजी से काश्त करने से मना किया तथा प्रतिवादीगण लड़ाई झगडे पर आमादा हुए, फसल कटाई के समय भी प्रतिवादीगण ने बड़ी मुश्किल से वादी को फसल काटने दी है तथा प्रतिवादीगण धमकी देते है कि वे विवादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करके रहेंगे। जब कि वादी ही विवादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त की विवादग्रस्त आराजी में दखलदांजी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में खतौनी संख्या 97 नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 75 में को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 138/416 रकबा 0.37 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, किसी प्रकार की दखलदाजी न करे। वादी के कब्जे काश्त में जबरन मदालखत व मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने प्रतिनिधियो से उत्पन्न करवाये। इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी फरमाले की कृपा करे ।

वादी की ओर से वाद श्री सुरेन्द्र सिंह एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 ता 3 की ओर से श्री महावीर मित्तल एड0 ने यू0टी0 दी। वकालतनामा पेश करने के काफी अवसर दिए गए परन्तु वकालतनामा पेश नहीं करने पर प्रतिवादीकम 1 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू 1, पी0डब्ल्यू0 2 पेश किए। शामिल पत्रावली है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन मनन किया। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में खतौनी संख्या 97 नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 75 में को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 138/416 रकबा 0.37 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, किसी प्रकार की दखलदाजी न करे। वादी के कब्जे काश्त में जबरन

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इटावा जिला कोटा

दालखत व मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने प्रतिनिधियो से उत्पन्न करवाये। इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विरूद्ध जारी की जाकर निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– नयन गौतम (आइ.ए.एस)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
25/2017	31/05/2017	29/11/2024

1. रामकरण पुत्र हीरालाल मृतक जर्ये कायममुकाम

   1/1 मुकेश पुत्र रामकरण

   1/2 महावीर पुत्र समकरण

   1/3 रिंकू पुत्री रामकरण

   1/4 कालीबाई पत्नी स्व0 रामकरण जातियान मीणा नि0 छत्रपुरा तह पीपल्दा जि. कोटा

—वादीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र माणकचन्द
2. मनोज पुत्र माणकचन्द
3. श्रीमति रोशनबाई बेवा माणक चन्द्र तह पीपल्दा जातियान महाजन निवासीगण पीपल्दा जि. कोटा (राज.) हाल नि0 दुकान को 6 सेक्टर ए कर्म माणकचन्द मनोज कुमार भामाशाह मण्डी कोटा जि. कोटा (राज.)

— प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री सुरेन्द्र सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में खतौनी संख्या 97 नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 75 में को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 138/416 रकबा 0.37 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम में प्रतिवादीगण वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, किसी प्रकार की दखलदाजी न करे। वादी के कब्जे काश्त में जबरन मदालखत व मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने प्रतिनिधियो से उत्पन्न करवाये। इस बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 ता 3 के विरूद्ध जारी की जाकर तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 29/11/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Gauta
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा [illegible]

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक [illegible]
इटावा जिला [illegible]